न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 218/2017 निर्णय दिनांक :– 23.10.19

उनवान

1. किशनलाल पुत्र जगन्नाथ
2. गोपाल पुत्र जगन्नाथ
3. पांचू पुत्र जगन्नाथ
4. सुवालाल पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

——वादीगण——

बनाम

1. जगदीश पुत्र कल्याण
2. मदन पुत्र कल्याण

समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

3. सोनी देवी पत्नि रामकरण पुत्री कल्याण जाति जाट निवासी कुंजा की ढाणी प्रतापपुरा ततसील फागी ज़िला जयपुर राज0।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

4. रुपा देवी पत्नि केसरा पुत्री कल्याण जाति जाट निवासी कुंजा की ढाणी प्रतापपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

5. तीजा देवी पत्नि बाबूलाल पुत्री कल्याण जाति जाट निवासी जयनगर चितौडा तहसील फूगी जिला जयपुर राज0।

6. मनभर उर्फ कमला देवी पत्नि लालाराम जाति जाट निवासी मानपुर गेट चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

7. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

——प्रतिवादीगण——

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण ने वाद निम्न प्रकार प्रस्तुत किया :—

आराजी खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.11 है0 गैरमुमकिन चाह खसरा नम्बर 2230 रकबा 0.04 है0 गैरमुमकिन चाह कुल किता 02 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि वाके ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 290/664 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 526/665 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 12 बिस्वा थे। जिसकी खातेदारी कल्याण पुत्र भूरा जाट के नाम अंकित थी। कल्याण पुत्र भूरा जाट वादीगण के ताउजी थे किन्तु गांव—गांव में कल्याण पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:25 IST
Reason: SelfAttested

भूरा नाम का व्यक्ति जो प्रतिवादीगण के पिताजी भी थे। इस कारण उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से विरासत में प्रतिवादीगण के नाम लग गई जबकि उक्त कुओं से सिंचित भूमि जो वादीगण के ताउजी कल्याण पुत्र भूरा के नाम थी वह कल्याण की पुत्री नानगी के नाम खातेदारी में आयी किन्तु विवादग्रस्त भूमि गलती से प्रतिवादीगण के नाम लग गई। नानगी पुत्री कल्याण के नाम आयी खातैदारी भूमि जरिये मुकदमा जा 59/1993 के निर्णय दिनांक 30/04/1997 के द्वारा वादीगण के नाम जारी के डिक्री आ गयी किन्तु उस समय गलती से वाद में विवादित भूमि अंकित करने से रह गई इस कारण प्रतिवादीगण के नाम का फायदा उठाते हुये विवादित भूमि का नामान्तकरण उनके नाम करवा लिया जो कानूनन अवैध व गलत है। कल्याण पुत्र भूरा वादीगण का ताउ था व कल्याण पुत्र भूरा नाम का दूसरा व्यक्ति प्रतिवादीगण का पिता था इस प्रकार समान नाम होने के कारण प्रतिवादीगण ने विरासत का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया। जबकि शुरु से आज तक मौके पर वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है व कल्याण पुत्र भूरा के नाम की खातेदारी भूमि की सिंचाई विवादित गैरमुमकिन चाह से करते आ रहे है। विवादित आराजी वादीगण के ताउंजी की छोडी हुई सम्पति है। जिस पर वादीगण का जन्मजात हित निहित है। वादीगण सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिन पर हिन्दू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। विवादित आराजी की खातेदारी वादीगण के ताउजी कल्याण पुत्र भूरा के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिसमें नाम का फायदा उठाते हुये प्रतिवादीगण ने गुंपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुये फर्जी तरीके से उक्त विवादित आराजी गैरममुकिन चाह को बिना किसी आधार के अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया जबकि उक्त आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम विरासत में आनी चाहिये थी। वर्तमान में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम रिकॉर्ड में आ रही है जो वादीगण के अधिकारों के मुकाबले अवैध व शून्य है। वादीगण अनपढ व काश्तकार पैशा व्यक्ति है जो विवादग्रस्त आराजी पर आज भी कांबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिनको उक्त समस्त फर्जीवाडे का पता नही चलने दिया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणः द्वारा फर्जकारी करते हुये भूमि गलत नाम करवाई गई है जो वादीगण के अधिकारो के मुकाबले अवैध व शून्य है। वादीगण अपनी पैतृक विवादित भूमि पर कार्य कर रहे तो दिनांक 01.08.2017 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर आये और स्पष्ट कहने लगे कि भूमि तुम्हारे नाम नही है बल्कि भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियो को करेगे तथा धमकियां दी कि तुम्हे बेदखल करके रहेंगे उसके बाद वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले निकलवा कर देखा तो सारी फर्जी कार्यवाही की जानकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धाकसू (जयपुर)

वादीगण को हुई। वादीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी चाह की भूमि की खातेदारी घोषणा अपने नाम करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिससें वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदांजी व मजाहमत पैदा नही करे ना ही भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियो को करे न स्वयं करे न ही अन्य से करावे। वादीगण के लिये वादकारण दिनांक 01.08.2017 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर आने व भूमि प्रतिवादीगण के नाम होने व बेचान करने की धमकी सारेआम देने व बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। जिससे राजस्व रिकॉर्ड की नकले लेकर वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। मामला अति आवश्यक होने के कारण धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार हासिल है। वादी का दावा अन्दर मियाद कानून मियाद व उचित न्यायशुल्क पर पेश है। वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवदीगण डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.11 है0 गैरमुमकिन चाह , खसरा नम्बर 2230 रकबा 0.04 है0 गैरमुमुकिन चाह कुल किता 02 कुल रकबा 0.15 है भूमि वाके ग्राम सूरजपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धाकड़ (जयपुर)

उर्फ टूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाया जावे। प्रतिवादीगण का जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिससे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदांजी व मजाहमत पैदा नही करे ना ही भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को करे न स्वयं करे न ही अन्य से करावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे तथा अन्य अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे दिलवाये। दावा वकील वादी के द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 बावजूद तामील हाजीर नही हुये व प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजीर नही होने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाकर साक्ष्यवादी का शपथ किया जाकर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये दावा डिक्री किया जाना जहिर किया गया। वादी ने दावे के समर्थन में ग्राम सूरजपुरा टूटोली की जमाबंदी 2072–75 के खाता संख्या 150, नामान्तकरण संख्या भू0 प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी संवत 2051–70 जमाबंदी संवत 2013–16 मिलान क्षेत्रफल, नक्शा, गवाहो के शपथ–पत्र गोपाल राधामोहन, सुवालाल, तेजीराम के बतौर दस्तावेज पेश किये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वकील वादी की बहस पर मनन किया व दस्तावेजात एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त आराजी की खातेदारी कल्याण पुत्र भूरा जाट के नाम अंकित थी जो जमाबंदी संवत 2013 से 16 के जो खाता संख्या 17 के अनुसार अंकित थी कल्याण पुत्र भूरा जाट वादीगण के ताउजी थे, किन्तु कल्याण पुत्र भूरा नाम का व्यक्ति प्रतिवादीगण के पिताजी भी थे इस कारण उक्त भूमि गलती से विरासत में प्रतिवादीगण के नाम लग गयी जबकि उक्त कुओ से सिंचित भूमि वादीगण के ताउजी कल्याण पुत्र भूरा के नाम थी जो कल्याण की पुत्री नानगी के नाम खातेदारी में आयी नानगी पुत्री कल्याण के नाम आयी खातेदारी भूमि जरिये मुकदमा नम्बर 59/93 निर्णय दिनांक 30.04.97 के द्वारा वादीगण के नाम डिक्री जारी की गयी, किन्तु उक्त समय गलती से विवादित भूमि अंकित करने से रह गयी, इसका फायदा उठाते हुये प्रतिवादीगण ने एक समान नाम होने से फायदा उठाते हुये अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया जो गलत खुलवा लिया उक्त सजरा खानदान के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण वादीगण के नाम खौला जाना चाहिये थे जबकि प्रतिवादीगण के नाम खोल दिया गया उसे दुरूस्त किया जाना उचित समझते है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा भी बावजूद सूचना के उक्त वाद में उपस्थित होकर किसी प्रकार की चारा जोरी नही की गयी इससे भी भली प्रकार से गवाहों के शपथ पत्र व

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (जयपुर)

दस्तावेजों के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण की साबित होने से दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.11 है0 2230 रकबा 0.04 है0 गैर मु0 चाह किता 2 रकबा 0.15 है0 भूमि वाके ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली तहसील चाकसू का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:09:25 IST
Reason: SelfAttested